



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



२१०

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP93428371305054U
Certificate Issued Date : 06-Jan-2022 12:27 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14278204/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1427820477478798403812U
Purchased by : ADHISHASHI ABHIYANTA NIRMAN KHAND BUNDELKHAND 1
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : ADHISHASHI ABHIYANTA NIRMAN KHAND BUNDELKHAND 1
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : ADHISHASHI ABHIYANTA NIRMAN KHAND BUNDELKHAND 1
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
(Ten only)

सत्यमेव जयते



FORM 'B'
[See rule 3(4)]

DECLARATION, SUPPORTED BY AN AFFIDAVIT, WHICH SHALL BE SIGNED BY THE PROMOTER OR ANY PERSON AUTHORIZED BY THE PROMOTER

Please write or type below this line

Affidavit cum Declaration

Affidavit-cum-Declaration of Mr./Ms. Samar Upadhyay E.E. CD-BUNDELKHAND-1 Promoter of the proposed project / duly authorized by the promoter of the proposed project, 108 Nos. Type Houses Under SFS at Bhumi Vikas Grah Satan योजना no-3 Kanpur by pass road Jhansi vide its/his/their authorization dated 24.12.2021 Promoter of the proposed project / duly authorized by the promoter of the proposed project, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

योजना उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित की जा रही है। योजना में समाविष्ट खसरा/भूमि का उ०प्र० आवास एवं विकास पत्र अधिनियम-1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, धारा-32 की उपधारा-1, एवं भूमि अध्यापि अधिनियम धारा-7/17 के अन्तर्गत) नियमानुसार विधे अधिग्रहण किया गया।

I, the deponent above, do here by verify the contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct to the best of my knowledge and I have not concealed any material facts. Verified on this 24-12-2021.

(Samar Upadhyay)
E.E. CD-BUNDELKHAND-1

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please refer to the website.

संख्या (1)/8-आ-2-2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग प्रेस, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने एवं उक्त अधिसूचना की 50 प्रतियों शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिव जना चौधरी)

अनु सचिव

संख्या 2597 (2)/8-आ-2-2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
- 2- जिलाधिकारी, झाँसी।
- 3- विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी, आवास एवं विकास परिषद, कलेक्ट्रेट, झाँसी।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)

अनु सचिव

(14)

2	झाँसी	298	0.215	0.531	-	-	0.215	0.531
	कोछा	230	3.192	7.804	-	-	0.192	7.884
	भावर							
		334	0.175	0.432	-	-	0.175	0.432
		247	0.259	0.639	-	-	0.259	0.639
		235	0.639	1.578	-	-	0.639	1.578
		248	0.166	0.410	-	-	0.166	0.410
		249	0.478	1.180	-	-	0.478	1.180
		250	0.627	1.548	-	-	0.627	1.548
		251 / 1	0.862	2.129	0.215	0.531	0.647	1.598
		251 / 2	0.433	1.069	-	-	0.433	1.069
		255 / 1	1.607	3.969	-	-	1.607	3.969
	कुल		18.753	46.312	0.839	2.073	17.914 या 17.91 हे.	44.239 या 44.23 ₹

टिप्पणी:-

उपरोक्त भूमि का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा कार्यालय आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय परियोजना पब्लिक निर्माण इकाई, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, डी-3 तालपुरा रोड झाँसी में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

(बी०बी० सिंह)

सचिव

आवास एवं विकास परिषद द्वारा बाईपास (रिंग रोड) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 झोंसी में समाविष्ट भूमि का विवरण

मौजा - कोछा भोंवर, मौजा- पिछौरा राहसील एवं जिला- झोंसी।

क.सं.	जिला	ग्राम	खसरा संख्या	योजना की धारा 28 के अर्जन प्रस्तावित क्षेत्रफल		नियोजन द्वारा मुक्त भूमि		अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल	
				हेक्टेअर	एकड	हेक्टेअर	एकड	हेक्टेअर	एकड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झोंसी	पिछौर	320	0.097	0.240	-	-	0.097	0.240
			321	0.202	0.499	-	-	0.202	0.499
			322 / 1	0.028	0.069	-	-	0.028	0.069
			322 / 2	0.060	0.148	-	-	0.060	0.148
			323	0.194	0.479	-	-	0.194	0.479
			324 / 1	0.340	0.840	-	-	0.340	0.840
			324 / 2	0.077	0.190	-	-	0.077	0.190
			324 / 3	0.040	0.098	-	-	0.040	0.098
			325 / 1	0.255	0.630	-	-	0.255	0.630
			325 / 2	0.109	0.269	0.001	0.003	0.108	0.256
			326	0.356	0.879	-	-	0.356	0.879
			327	0.599	1.479	-	-	0.599	1.479
			328 / 1	3.444	8.507	0.623	1.539	2.821	6.968
			328 / 2	0.809	1.998	-	-	0.809	1.998
			328 / 3	2.148	5.305	-	-	2.148	5.305
			332	0.040	0.098	-	-	0.040	0.098
			333	0.547	1.351	-	-	0.547	1.351
			334	0.279	0.689	-	-	0.279	0.689
			335 / 1	0.242	0.598	-	-	0.242	0.598
			335 / 2	0.040	0.098	-	-	0.040	0.098
			336	0.194	0.479	-	-	0.194	0.479

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2
संख्या-2597/आठ-2-2007-06 एच.बी./2004
लखनऊ : दिनांक- 22 फरवरी, 2007

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 18 फरवरी 2006 उपरो आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उपरो अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा 32 की उपधारा-1 के अधीन प्रकाशित परिषद की अधिसूचना संख्या-1922/एल0ए0सी0/एच0क्यू0(भाग-8) दिनांक-12 जनवरी, 2006 के क्रम में और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित और उक्त अधिनियम की अनुसूची के खण्ड-3 द्वारा उपान्तरित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1894) की धारा-17 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झाँसी, जो कि एक आवासीय एवं सुधार योजना है, के शीघ्र निष्पादन के हित में निर्देश देते हैं कि यद्यपि कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है। झाँसी के कलेक्टर उक्त अधिनियम की धारा-9(1) निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर उक्त योजना के प्रयोजनार्थ आवश्यक निम्नलिखित भूमि पर शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कब्जा कर सकते हैं। अर्थात् योजना की

सीमायें निम्न प्रकार हैं:-

उत्तर:- मौजा पिछौरा खसरा संख्या 298 (भाग)परगना, तहसील व जिला झाँसी। मौजा कोछा भोंवर, खसरा संख्या 228/2, 229, 230 (भाग) 231 परगना, तहसील व जिला झाँसी।

पूर्व:- मौजा कोछा भोंवर खसरा संख्या 233, 234(भाग) 236, 247(भाग), 255/2 परगना, तहसील व जिला झाँसी।

दक्षिण:-मौजा कोछा भोंवर, खसरा संख्या 252 परगना, तहसील व जिला झाँसी। मौजा पिछौरा खसरा संख्या- 392 परगना तहसील व जिला झाँसी।

पश्चिम:-मौजा पिछौरा खसरा संख्या 330, 329, 330, 331, 343, 337, 319, परगना तहसील व जिला झाँसी।

कार्यालय- अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) / वि0मू0अ0अ0 (आवास/कानपुर नगर)

- अधिकार पत्र**
1. राजस्व ग्राम का नाम :- कौदा गावर
 2. परगना तहसील का जिला :- झांसी
 3. अर्जन निकाय का नाम :- 3078 आवास एवं विकास विभाग
 4. योजना का नाम :- भूमि अधिग्रहण 2000 झांसी तहसील का
 5. धारा-4 (1)/17 की विज्ञप्ति :- 6-04-2002
 6. धारा-6 (1)/17 की विज्ञप्ति :- 12-01-2006
 7. कब्जा परिवर्तन की तिथि :- 16/4/2008
 8. कब्जा देने वाले का नाम :- राजेश कुमार

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) / वि0मू0अ0अ0
 (आवास/कानपुर नगर) विभाग भूमि अधिग्रहण
 नाम व पद नाम
 (हरनाम सिंह तोमर) (बावास) कलेक्टर, कानपुर नगर

भूमि का विवरण जिसका कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल हे० में
	कौदा गावर	251/1	0.6471 हे०
		251/2	0.2180 हे०
		251/3	0.2865 हे०

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
 नाम
 पद नाम
 दिनांक
 ठिक
 ओ
 है दि
 आर

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
 नाम
 पद नाम
 दिनांक 16-4-2008

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) / वि0मू0अ0अ0
 (आवास/कानपुर नगर) विभाग भूमि अधिग्रहण
 नाम व पद नाम
 (हरनाम सिंह तोमर) (बावास) कलेक्टर, कानपुर नगर

कार्यालय- अपर जिलाधिकारी (गृह/आवास) / वि०/गृ०/आ०/आ० (आवास/कलेक्टर) कानपुर नगर

अधिकार पत्र

राजस्व ग्राम का नाम - कौदा भावर

परगना तहसील का जिला - झांसी

अर्जन निकाय का नाम - 30प्र० आवास एवं विकास परिषद

योजना का नाम - भूमि विकास एवं सुस्थान योजना संख्या: 3 झांसी

धारा-4 (1)/17 की विज्ञप्ति - 06-04-2002

धारा-6 (1)/17 की विज्ञप्ति - 12-01-2006

कब्जा परिवर्तन की तिथि - 16-4-2008

कब्जा देने वाले का नाम - एजाज अहमद अमीन

अपर जिलाधिकारी (गृह/आवास) / वि०/गृ०/आ०/आ०
 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
 (आवास) कलेक्टर कानपुर नगर
 नाम व पद नाम

भूमि का विवरण जिसका कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।
 (हरनाम सिंह तामर) प्रधान अधिकारी

नालाब
 माली रहसि

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल हे० में
	कौदा भावर	230	3.1920 हे०
		235	0.6390 हे०
		248	0.1860 हे०
		249	0.3970 हे०
		250	0.5460 हे०
		254	-
		254/8	-
		255	1.5260 हे०
		कुल	6.4660 हे०

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम - गोरेशंकर सिंह

पद नाम - 30प्र० आवास एवं विकास परिषद

दिनांक - 16/4/2008

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - एजाज अहमद अमीन

पद नाम - प्रधान अधिकारी

दिनांक - 16-4-2008

प्रतिहस्ताक्षरित

मन्दिर, मस्जिद, देवस्थान, कक्षास्थान अथवा निगम
 व अन्य अथवा नालाब, रास्ता व धारासंचालन की भूमि
 को होकर कृषक भूमिका कब्जा किया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी (गृह/आवास) / वि०/गृ०/आ०/आ०
 (आवास) कलेक्टर कानपुर नगर

पिपस्टर्ब सं० १० टी०-४

साइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०-४।

(सारासेन्स टू पोस्ट विहाउट प्रीपेन्ड)



1880
6-5-02

14RI-28

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

दिल्ली, शनिवार, 27 अप्रैल, 2002 ई० (बिद्याल 7, 1924 का संवत्)

भाग 8

आवास-पत्र, टवाई हुई भू की पट्टों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, पालक और भ्रष्ट सम्बन्धी रिपोर्ट, वायुमय-आपत, सूचना, विभाजन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

(भूमि अर्जन अनुमान)

संख्या 647/गू० अ-पौ

6 अप्रैल 2002 ई०

नोटिस

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1965)

अध्याय 28 के अन्तर्गत नोटिस :-

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने शहरी इलाह की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उत्ती-
कृत शहरी एवं गाँव-वासी-वासीकरण योजनाओं को मिलाते वाले प्रस्तावित शहरी पाम मार्ग (रिंग रोड) वृद्धि विकास एवं
शहरी योजना संख्या 03 शहरी वसाई हैं। इन योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएँ निम्नवत् हैं :-

- उत्तर--मोना गिलोय, पत्रा संख्या 298 (भाग), परगना, गुरुसैल व जिला शहरी।
मंडा गोल, गाँव, पत्रा संख्या 228/2, 229, 230 (भाग), 231 परगना, गुरुसैल व
जिला शहरी।
- पूरब--मोना गोल, गाँव, पत्रा संख्या 233, 234 (भाग) 235, 237 (भाग), 255/2 पत्रा,
गुरुसैल व जिला शहरी।
- दक्षिण--मोना गोल, गाँव, पत्रा संख्या 232, परगना, गुरुसैल व जिला शहरी।
- मोना--गिलोय, पत्रा संख्या 298, परगना, गुरुसैल व जिला शहरी।
- पश्चिम--मोना--गिलोय, पत्रा संख्या 330, 329, 330, 331, 333, 337, 319 परगना, गुरुसैल
व जिला शहरी।

यह योजना की जाती है कि जब परिषद् की पत्रा में उपरोक्त योजना के विषय में योजना में समाविष्ट
क्षेत्र में किसी भी भूमि, जो उपरोक्त विषय के लिए अधिपत्र न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा, तो पत्रा व के विषय

अभिनिर्णय

1. वाद संख्या : / 2013
2. ग्राम : पिछोर व कोछामांवर, परगना व तहसील व जिला झांसी
3. विज्ञप्ति क्षेत्रफल : ग्राम-पिछोर 9.2380हे०
रिट से प्रभावित 1.0530हे०
8.1850हे०
कोछामांवर 7.3310हे०
रिट से प्रभावित 0.0490हे०
7.2820हे०
4. अभिनिर्णीत क्षेत्रफल : ग्राम-पिछोर 8.1850हे०
ग्राम-कोछामांवर 7.2820हे०
योग- 15.4670हे०
5. अध्याप्ति का प्रयोजन : भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं०-3, झांसी।
6. अध्याप्ति निकाय का नाम : उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. धारा-28 की विज्ञप्ति की तिथि : 06.04.2002
8. धारा-32 की विज्ञप्ति की तिथि : 12.01.2006
9. क्या धारा-17 के प्राविधान लागू है : हाँ।
10. कब्जा की तिथि : 16.04.2008
11. अभिनिर्णय की तिथि : 18-11-2013
12. निर्धारित प्रतिकर : रू० 3,55,48,972.32
13. 30प्रतिशत सोलेशियम : रू० 1,06,64,691.70

योग- रू० 4,62,13,664.02

14. 12प्रतिशत प्रतिकर : नियमानुसार देय होगा।
15. ब्याज की धनराशि : भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-34 के अनुसार



कार्यालय- अपर जिलाधिकारी (मू०अ०) / वि०मू०अ०अ० (आवास/कलेक्ट्रेट) कानपुर नगर

राजस्व ग्राम का नाम - अधिकार पत्र
 परगना तहसील का जिला - पिंदौर
 अर्जन निकाय का नाम - झांसी
 योजना का नाम - 30^{प्र} भावास स्वविकास परिषद
 धारा-4 (1)/17 की विज्ञप्ति - भूमि विकास स्ववृहस्थान योजना संख्या: 3 झांसी
 धारा-6 (1)/17 की विज्ञप्ति - 06-04-2002
 कब्जा परिवर्तन की तिथि - 12-01-2006
 कब्जा देने वाले का नाम - 16-4-2008
 एजाज अहमद
 कानपुर

अपर जिलाधिकारी (मू०अ०) / वि०मू०अ०अ० (आवास) कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर
 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
 (आवास) कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर
 (हरनाम सिंह तोमर)

भूमि का विवरण जिसका कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल हे० में
	पिंदौर	320	0.0970 हे० ✓
		321	0.2020 हे० ✓
		322/1	0.0286 हे० ✓
		322/2	0.0600 हे० ✓
		323	0.1440 हे० ✓
		5 किलोमीटर	0.5810 हे० ✓

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
 (हरनाम सिंह तोमर)
 नाम 30^{प्र} भावास स्वविकास परिषद, निवासी झांसी
 दिनांक 16/4/2008

② अनुना प्रसाद
 सहायक अभियन्ता झांसी

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
 एजाज अहमद
 पद नाम अमीन
 दिनांक 16-4-2008

प्रतिहस्ताक्षरित

अपर जिलाधिकारी (मू०अ०) / वि०मू०अ०अ० (आवास) कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर
 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
 (आवास) कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर
 (हरनाम सिंह तोमर)

204

खसरा नम्बर - आज तक भांडानिवाला क्षेत्र फल है व 2 मर भे

BF - 5 किता	0.5810 हे०	
324/1	0.3400 हे०	✓
324/2	0.0770 हे०	✓
324/3	0.0400 हे०	✓
325/2	0.1080 हे०	✓
326	0.3560 हे०	✓
327	0.5990 हे०	✓
328/1	2.8210 हे०	✓
328/2	0.7100 हे०	
328/3	2.0490 हे०	1.7560
332	0.0400 हे०	✓
333	0.5470 हे०	✓
334	0.2790 हे०	✓
335/1	0.2420 हे०	✓
335/2	0.0400 हे०	✓
336	0.1940 हे०	✓
298/1	0.2150 हे०	✓
21 किता	9.2380 हे०	2 मर

नोट: गाँव मस्जिद देवस्थान कब्रस्तान, भवन, निर्माण, लजर उसर, तालाब
 मरना व मरम सुनाए को भूमि दंडकर कृषक भूमिकी कहला दिमा ला.

(जोरी शम्शर अमीन)
 अमीन

(जमुना प्रसाद)
 सहायक अमीन

एजाज अहमद
 अमीन

कार्यालय- अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) / वि0मू0अ0अ0 (आवास / ~~कलेक्ट्रेट~~) कानपुर नगर

राजस्व ग्राम का नाम - अधिकार पत्र
 परगना तहसील का जिला - पिंदौर
 अर्जन निकाय का नाम - झांसी
 योजना का नाम - 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद
 धारा-4 (1)/17 की विज्ञप्ति - भूमि विकास एवं ग्रहस्थान योजना संख्या: 3 झांसी
 धारा-6 (1)/17 की विज्ञप्ति - 06-04-2002
 कब्जा परिवर्तन की तिथि - 12-01-2006
 कब्जा देने वाले का नाम - 16-4-2008
 एजाज अहमद
 क्रेमी

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) / वि0मू0अ0अ0
 विशेष भूमि अधीनस्थ अधिकारी
 (आवास) कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर

(हरनाम सिंह तोमर)

भूमि का विवरण जिसका कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल हे० में
	पिंदौर	320	0.0970 हे० ✓
		321	0.2020 हे० ✓
		322/1	0.0286 हे० ✓
		322/2	0.0600 हे० ✓
		323	0.1940 हे० ✓
		5 कुंती	0.5810 हे० + 2 म ² P.T. 0 (वे०)

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
 (मू० अ०) अमीन अमीन
 नाम श्री. अमीन अमीन
 पद नाम सहायक अधीनस्थ झांसी
 दिनांक 30 प्र० आवास एवं विकास परिषद, निकाय झांसी
 तारीख 16/4/2008

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
 नाम एजाज अहमद
 पद नाम अमीन
 दिनांक 16-4-2008

प्रतिहस्ताक्षरित

अपर जिलाधिकारी (भू० अ०) / वि० मू० अ० अ० अ०
 विशेष भूमि अधीनस्थ अधिकारी
 (आवास) कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर

(हरनाम सिंह तोमर)



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-बुन्देलखण्ड-01

बी-1 तालपुरा योजना, झांसी

Email ID- upavp.jhs@gmail.com



पत्र सं०..... 18

/नि०ख०, बुन्देलखण्ड-1/ 4-3 | 08

दिनांक... 06-01-2022

सेवा में,

तकनीकी सलाहकार,
उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
काला काकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ।

विषय :- भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झांसी कानपुर ग्वालियर वाईपास सरखी के हनुमान मंदिर के पास झांसी में 108 नग 36/75 प्रकार के फिनिश ए.एस.एफ.एस. भवनों के निर्माण हेतु उ०प्र० रेरा में पंजीकरण के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक - 0501222/यू.पी.रेरा/परि.पंजी./2021-22 दिनांक 05.01.2022 महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद झांसी में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झांसी में 108 नग 36/75 प्रकार के स्व-वित्त पोषित फिनिश भवनों की परियोजना का रेरा में पंजीकरण हेतु आवेदन संख्या 358800 पर पंजीकृत किया गया, जिसके संबंध में इंगित कमियों के बिन्दुवार निम्नवत् निराकरण कर दिया गया है :-

1. समस्त प्रपत्रों की पठनीय प्रति अपलोड कर दी गयी है।
2. अपेक्षित संशोधन कर दिया गया।
3. विकास कार्यों के विस्तृत विवरण के प्लान को अपलोड कर दिया गया है।
4. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद-झांसी के मौजा-पिछोर एवं कोछाभांवर की खतौनी की सूची में समाविष्ट खसरो की भूमि के अनुसार 44 एकड़ की एक आवासीय परियोजना- भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झांसी विकसित की जा रही है, जिसका नियमानुसार अधिग्रहण किया गया। कब्जा पत्र/ अधिकार पत्र की छायाप्रति अपलोड की गयी है।
5. आवासीय परियोजना-भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झांसी के स्वीकृत ले-आउट में समाविष्ट सम्पत्तियों/ भूखण्ड में से पूर्व में 156 नग भूखण्डों का रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ406852 है। अद्यतन 156 नग भूखण्ड के सापेक्ष 135 नग भूखण्ड का विक्रय हो चुका है तथा शेष प्रक्रियाधीन है। विषयगत 108 नग 36/75 प्रकार के फिनिश भवन पृथक से निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।
6. योजना उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित की जा रही है। योजना में समाविष्ट खसरो/भूमि का उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, धारा-32 की उपधारा-1, एवं भूमि अध्याप्ति अधिनियम धारा-7/17 के अन्तर्गत) नियमानुसार विधिवत् अधिग्रहण किया गया। अधिकार पत्र अपलोड है।
7. बैंक स्टेटमेंट अपलोड हैं।
8. Individual Contract की आवश्यकता नहीं है। निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर उपरान्त किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण करते हुए संसगत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झांसी में 108 नग भवनों का पंजीकरण शीघ्र करने का कष्ट करें।

पत्रांक :

18

4-3 /उपरोक्तानुसार। 08

दि

भुवदीय
(सि.स. उपाध्याय)
अधिशासी अभियन्ता
दि 06-01-2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ स्टाफ आफीसर, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता(प्र०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता-बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, झांसी।
4. सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता, नि.ख. बुन्देलखण्ड-01 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, झांसी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-1
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद